[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 -s.302 r/ws।34 – हत्या-सामान्य इरादा-दो आरोपी, ए-2 (प्रतिवादी संख्या 1) और उनके बेटे (ए-1)-तीन पीडब्लू-सत्र न्यायालय ने ए-1 यू/एस को दोषी ठहराया। 302 और ए-2 यू/एस।302 आर/डब्ल्यू 34-उच्च न्यायालय ने ए-1 की दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन ए-2 को बरी कर दिया-मृतक के पहले मुखबिर/बेटे की अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःउच्च न्यायालय ने ए-2 को बरी करने में गलती की-सभी तीन पीडब्लू सुसंगत थे और अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन करते थे-यहां तक कि उच्च न्यायालय के अनुसार उद्देश्य स्थापित और साबित हुआ-उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भूमि विवाद के कारण पक्षों के बीच दुश्मनी थी-इसलिए, उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि ए-2 को एस की सहायता से सही तरीके से दोषी ठहराया गया था।34 क्योंकि वह मृतक को मारने के समान इरादे से अपने बेटे के साथ गया था और मृतक को अलग खाट पर सोते हुए देखकर अपने बेटे को उसे मारने के लिए उकसाया और उसके बाद उसके बेटे (ए-2) ने मृतक को बन्दूक से मार डाला-एक बार ए-2 की उपस्थिति स्थापित हो गई और साबित हो गई और उसे प्रोत्साहन की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई, तो उच्च न्यायालय को ए-2 यू/एस की दोषसिद्धि की पुष्टि करनी चाहिए थी।302/34 – ए-2 यू/एस को दोषी ठहराते हुए निचली विचारण न्यायालय का निर्णय ।302/34 और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तदनुसार, बहाल किया गया।

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :1. प्रतिवादी नं. 1-अभियुक्त नं. 2 को एफ. आई. आर. में नामित किया गया था। घटना के तीन चश्मदीद गवाह हैं-पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 और सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों ने प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी नंबर 2 का नाम लिया है और उन सभी ने कहा है कि दोनों आरोपी पंपिंग सेट पर आए थे जहां मृतक सो रहा था और उस समय जब मृतक को अलग-अलग खाट पर सोते हुए देखा, तो प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी नंबर 2 ने अपने बेटे को मृतक और उसके बेटे-आरोपी नंबर 1 ए को मारने के लिए प्रोत्साहित किया।

/

/

550

551

ओमकार सिंह बनाम जयप्रकाश नारायण सिंह और ए. एन. आर.

मृतक को बन्दूक से मार डाला।अभियोजन पक्ष के तीनों गवाह सुसंगत हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन करते हैं।एक बार जब उच्च न्यायालय ने तीनों चश्मदीद गवाहों पर भरोसा करते हुए आरोपी नंबर 1 की दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी है, तो उच्च न्यायालय को प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी नंबर 2 की दोषसिद्धि की पुष्टि करनी चाहिए थी।[पैरा 12] [555-एफ-एच; 556-ए-बी]

/

2. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1-अभियुक्त नंबर 2 को केवल इस आधार पर बरी कर दिया है कि तीनों चश्मदीद गवाहों ने उसे उकसाने की भूमिका दी थी और उसे कोई स्पष्ट कार्य नहीं सौंपा गया है, यह उसकी भूमिका में अतिशयोक्ति के कारण हो सकता है ताकि उसे गलत तरीके से फंसाया जा सके और देखा जा सके कि पिता और पुत्र को सलाखों के पीछे डाला गया है।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दोनों आरोपी-पिता और पुत्र एक साथ उस स्थान/पंपिंग सेट पर गए जहाँ मृतक सो रहा था।यहां तक कि उच्च न्यायालय के अनुसार उद्देश्य स्थापित और साबित हो गया है।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि भूमि विवाद के कारण दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी।इसलिए, उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी नंबर 2 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 की सहायता से सही ठहराया गया था क्योंकि वह मृतक को मारने के समान इरादे से अपने बेटे के साथ था और मृतक को अलग-अलग खाट पर सोते हुए देखकर उसने अपने बेटे को मारने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके बाद उसके बेटे ने मृतक को आग्नेयास्त्र से मार डाला।इसलिए, एक बार जब उनकी उपस्थिति स्थापित हो जाती है

और साबित हो जाती है और उन्हें प्रोत्साहन की विशिष्ट भूमिका सौंपी जाती है**,** तो उच्च न्यायालय को भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **302/34** के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिवादी संख्या **1-**अभियुक्त संख्या **2** की दोषसिद्धि की पुष्टि करनी चाहिए थी। **[**पैरा **12.1] [556-**सी**-**एफ**]**

/

/

/

/

3. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नं**. 1-**अभियुक्त नं**. 2** को बरी करने में गंभीर त्रुटि की।उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है।प्रतिवादी नं**. 1-**अभियुक्त नं**. 2** को भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **302/34** के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए और उसे आजीवन कारावास की सजा देते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।**[**पैरा **12.2,13] [556-**एच**; 557-**ए**,** बी**]**

/

/

552

/

[2022] 1 एस सी आर।

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 84।

इलाहाबाद, यू. पी. में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.03.2019 से, आपराधिक अपील No.304 में 1983 के साथ-साथ सी. आर. एल. में सुधार आदेश दिनांक 02.05.2019। विविध।(सुधार) 2019 का आवेदन No.03।

/

डी. पी. सिंह यादव, राजीव कुमार देवड़ा, सुश्री स्मृति कुमारी, शिव सागर तिवारी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री मंजू जेटली, आर. एम. सिन्हा, गर्वेश काबरा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 1983 की आपराधिक अपील संख्या 304 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1-मूल अभियुक्त संख्या 2 द्वारा दायर उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया है और उसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया है, मृतक के मूल सूचना देने वाले-पुत्र ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पारसनाथ सिंह के बेटे ओंकार सिंह ने पुलिस स्टेशन करंडा, जिला गाज़ीपुर में एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें कहा गया कि उदयभान सिंह और उनके पिता जयप्रकाश नारायण सिंह उर्फ लाला (मूल आरोपी Nos.1 और 2) के साथ उनके परिवार के सदस्यों के बीच चल रही दुश्मनी के कारण उनके पिता की हत्या कर दी गई है।आरोप के अनुसार, 21.04.1982 पर कैलाश विश्वकर्मा की बेटी की शादी हुई थी, जो उसका पड़ोसी था, जहाँ वह अपने ताऊ-विक्रम सिंह और अपने चचेरे भाई इंद्रदेव सिंह के साथ गया था।रात के लगभग 12 बजे खाना खाने के बाद, वह अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ सोने के लिए अपने पंपिंग सेट पर चला गया था, जहाँ उसके पिता पारसनाथ पहले से लेटे हुए थे।वे और उनके चचेरे भाई इंद्रदेव सिंह एक खाट पर सोते थे जबकि उनका ताऊ दूसरी खाट पर सोता था।एक लालटेन जल रही थी जो एक छड़ी पर लटकी हुई थी।2 के बीच में:30-3:00 रात में आरोपी उदयभान सिंह अपनी खाट के पास आया और चादर खींची जिस पर वह और उसका चचेरा भाई जाग गए और उसका ताऊ भी जाग गया।उस समय जयप्रकाश नारायण सिंह @लाला (ए-2) ने प्रोत्साहित किया और कहा कि पारस यहाँ लेटा हुआ है जल्दी आओ और उसे गोली मार दो जिस पर ए

/

/

/

/

/

ओमकार सिंह बनाम जयप्रकाश नारायण सिंह और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

उदयभान सिंह (ए-1) अपने पिता पारसनाथ की खाट के पास गया और एक खाली दूरी से उसकी छाती पर देसी पिस्तौल से गोली मार दी और जब मुखबिर और गवाहों ने शोर मचाया तो उदयभान सिंह ने फिर से अपनी देसी पिस्तौल भरी और उन्हें धमकी दी जिसके कारण वे चुप रहे।इसके बाद दोनों आरोपी उत्तर की ओर भाग गए।जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी (आई. ओ.) ने चश्मदीद गवाहों सहित संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए और प्रासंगिक सबूत भी एकत्र किए।जाँच के समापन पर, आई. ओ. ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा <आई. डी. 1 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था।अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए दोनों अंतर्गत भारतीय न्यायालय सी. की धाराओं, क्रमशः, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी. की धारा, भारतीय न्यायालय सी

/

/

3. अभियुक्त के अपराध को सामने लाने के लिए अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 ओंकार सिंह-मुखबिर और पीडब्लू-2 इंद्रदेव सिंह और पीडब्लू-4 विक्रम सिंह (सभी चश्मदीद गवाह) और पीडब्लू-3 डॉ. पी. सी. श्रीवास्तव, जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया और पीडब्लू-5 एस. आई. कामता सिंह से पूछताछ की।अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य को बंद करने पर, धारा 313 Cr.PC के अंतर्गत अभियुक्त के आगे के बयान दर्ज किए गए।इसके बाद अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना करने और पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 (चश्मदीद गवाहों) पर विश्वास करने पर विद्वत विचारण न्यायालय ने ए-1-उदयभान सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और ए-2-जयप्रकाश नारायण सिंह उर्फ लाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

/

/

/

4. अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 और धारा 1 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।आक्षेपित निर्णय और आदेश से, हालांकि उच्च विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों-पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 पर विश्वास किया है, जहां तक ए-1 उदयभान का संबंध है और ए-1 उदयभान को दोषी ठहराते हुए विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की है, ए-2-जयप्रकाश नारायण सिंह उर्फ लाला को मुख्य रूप से इस आधार पर बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों ने उसे केवल उपदेश की भूमिका दी थी और उसे कोई स्पष्ट कार्य नहीं सौंपा गया है।

/

/

/

/

[2022] 1 एस सी आर।

इसलिए गवाहों द्वारा उसकी भूमिका में अतिशयोक्ति और गलत निहितार्थ हो सकते हैं ताकि यह देखा जा सके कि दोनों अभियुक्त-पिता और पुत्र को पक्षों के बीच संपत्ति विवाद के कारण सलाखों के पीछे डाल दिया गया है।

5. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1-मूल अभियुक्त संख्या 2 को बरी करने के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल सूचना देने वाले ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री डी. पी. सिंह यादव ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1-मूल अभियुक्त संख्या 2-को बरी करते हुए एक गंभीर त्रुटि की है।

/

6.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के प्रतिवादी संख्या 1 का नाम प्राथमिकी में लिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी तीन चश्मदीद गवाह-पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 नामित प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी जो पंपिंग सेट पर गया था जहां मृतक सो रहा था और वह प्रतिवादी नंबर 1 हत्या करने के समान इरादे से मृतक अपने बेटे के साथ था-आरोपी नंबर 1 और मृतक

को एक अलग खाट पर पाकर उसने अपने बेटे को मारने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके बाद आरोपी नंबर 1 ने मृतक को आग्नेयास्त्र से मार डाला।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 की सहायता से उचित रूप से दोषी ठहराया।

/

/

6.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के अनुसार भी अभियोजन पक्ष द्वारा उद्देश्य स्थापित और साबित किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त को केवल इस आधार पर बरी कर दिया है कि प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त संख्या 2 को सौंपा गया स्पष्ट कार्य केवल प्रोत्साहन का है और इसलिए, उसकी भागीदारी संदिग्ध प्रतीत होती है।

/

6.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निष्कर्ष/अवलोकन अनुमानों और अनुमानों पर है और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त की उपस्थिति स्थापित की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 की जांच करके साबित किया गया है, जो चश्मदीद गवाह हैं और उनके साक्ष्य पर उच्च न्यायालय द्वारा विश्वास किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए घटना स्थल पर अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

/

7. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।

/

555

ओमकार सिंह बनाम जयप्रकाश नारायण सिंह और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

8. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री गर्वेश काबरा ने अपीलार्थी का समर्थन किया है और कहा है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी नंबर 2 को बरी करने में गलती की है।

9. प्रतिवादी नं. 1-अभियुक्त नं. 2 की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री आर. एम. सिन्हा ने वर्तमान अपील का विरोध किया है।प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1-

अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए बरी करते समय ठोस कारण दिए गए हैं, और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

/

/

9.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है कि अभियोजन पक्ष के सभी तीन गवाहों ने अभियुक्त को केवल उकसाने की भूमिका दी थी और उसे आगे कोई स्पष्ट कार्य नहीं सौंपा गया है और यहां तक कि अभियोजन पक्ष के गवाहों और यहां तक कि अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त संख्या 1 द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग किया गया था और प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ एकमात्र आरोप-मूल अभियुक्त संख्या 2 प्रोत्साहन था।उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए सही ढंग से बरी कर दिया है।

/

10. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

/

11. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वकील को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

12. शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में शुरू से ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का खुलासा किया गया था।प्रतिवादी नं. 1-अभियुक्त नं. 2 को एफ. आई. आर. में नामित किया गया था। घटना के तीन चश्मदीद गवाह पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-4 हैं और सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों ने प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी नंबर 2 का नाम लिया है और उन सभी ने कहा है कि दोनों आरोपी पंपिंग सेट पर आए थे जहां मृतक सो रहा था और उस समय जब मृतक को अलग-अलग खाट पर सोते हुए पाया गया, तो प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी नंबर 2 ने अपने बेटे को मृतक को मारने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके बेटे-आरोपी नंबर 1 ने मृतक को बन्दूक से मार डाला।अभियोजन पक्ष के तीनों गवाह सुसंगत हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन करते हैं।यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी विशेष रूप से कहा है कि अभियोजन पक्ष के तीनों गवाह विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं और उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।इसलिए, एक बार यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी सभी पाया

/

/

/

/

/

[2022] 1 एस सी आर।

अभियोजन पक्ष के तीन गवाह-पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं और वास्तव में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी नंबर 1 की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं, इसके बाद उच्च न्यायालय को आरोपी नंबर 2-प्रतिवादी नंबर 1 की उपस्थिति पर संदेह नहीं करना चाहिए था।एक बार जब उच्च न्यायालय ने तीनों चश्मदीद गवाहों पर भरोसा करते हुए आरोपी नंबर 1 की दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी है, तो उच्च न्यायालय को प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी नंबर 2 की दोषसिद्धि की पुष्टि करनी चाहिए थी।

/

12.1 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त संख्या 2 को केवल इस आधार पर बरी कर दिया है कि तीनों चश्मदीद गवाहों ने उसे उकसाने की भूमिका दी थी और उसे कोई स्पष्ट कार्य नहीं सौंपा गया था, यह उसकी भूमिका की अतिशयोक्ति के कारण हो सकता है ताकि उसे गलत तरीके से फंसाया जा सके और यह देखा जा सके कि पिता और पुत्र को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दोनों आरोपी-पिता और पुत्र एक साथ उस स्थान/पंपिंग सेट पर गए जहाँ मृतक सो रहा था।यहां तक कि उच्च न्यायालय के अनुसार उद्देश्य स्थापित और साबित हो गया है।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि भूमि विवाद के कारण दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी।इसलिए, उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी नंबर 2 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 की सहायता से सही ठहराया गया था क्योंकि वह मृतक को मारने के समान इरादे से अपने बेटे के साथ था और मृतक को अलग-अलग खाट पर सोते हुए देखकर उसने अपने बेटे को मारने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके बाद उसके बेटे ने मृतक को आग्नेयास्त्र से मार डाला।इसलिए, एक बार जब उनकी उपस्थिति स्थापित हो जाती है और साबित हो जाती है और उन्हें प्रोत्साहन की विशिष्ट भूमिका सौंपी जाती है, तो उच्च न्यायालय को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त संख्या 2 की दोषसिद्धि की पुष्टि करनी चाहिए थी।

/

/

/

/

12.2 यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा <आई. डी. 2 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी संख्या 1 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है/पुष्टि की है, एक बार भारतीय दंड संहिता सी. की धारा <आई. डी. 2 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी संख्या 1 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा/पुष्टि की गई है, उच्च न्यायालय को आरोपी संख्या 2 की दोषसिद्धि को बरकरार/पुष्टि करनी चाहिए थी, जिस पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा <आई. डी. 2 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भी आरोप लगाया गया था। दोनों अभियुक्त एक समान इरादे से आधी रात को मृतक के स्थान पर गए और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है कि उद्देश्य स्थापित हो गया है और साबित हो गया है, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त संख्या 2 को बरी करने में गंभीर त्रुटि की है।उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष सिर्फ ए है

/

/

/

ओमकार सिंह बनाम जयप्रकाश नारायण सिंह और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत।आक्षेपित निर्णय और व्यवस्था विधि और तथ्यों दोनों पर अस्थिर है।

13. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपील सफल होती है।प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल अभियुक्त संख्या 2-जयप्रकाश नारायण सिंह को बरी करने के लिए उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।अब प्रतिवादी संख्या 1-मूल अभियुक्त संख्या 2 को आजीवन कारावास से गुजरने के लिए चार सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा।

/

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/